XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3815–दो / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आवेदक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि राजस्व अभिलेख वर्ष 2013–14 में उनके स्वामित्व की भूमि पर उन्हें बिना सुने तहसीलदार द्वारा कब्रिस्तान की प्रविष्टि करदी गई है जो अवैधानिक है । इस संबंध आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । जिस विकयपत्र की प्रति आवेदक की ओर से पेश की गई है उसमें सर्वे नं. 1126 मिन रकबा 0.005 आरे उसके द्वारा कय किए जाने का उल्लेख है जबकि जिस प्रविष्टि को चुनौती दी गई है उसका सर्वे नं. 1126 / 3 / क है । आवेदक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह पाया जा सके कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1126 / 3 / क उनके स्वामित्व की है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

BEFORE THE BOARD OF REVENUE BHOPAL DIVISION,

BHOPAL. R-3815-II/14

Revenue Revision No.-. . . . . ./2014.

(109)

Smt. Akila Bi,
W/o Anees Khan,
Aged about 45 years,
R/o Ward No.-2, Kurwai,
District Vidisha.
Through power of attorney holder-
Anees Khan,
S/o Aziz Khan,
Aged about 54 years,
R/o Ward No.-2, Kurwai,
District Vidisha. --- **Applicant.**

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

Vs.

State of M.P.,
Through Tehsildar,
Tehsil Kurwai, District Vidisha. --- **Non-applicant**

<u>Revision under Section 50 of M.P. Land Revenue Code, 1959 arising out from the revenue entry of the year 2013-14 made by Tehsildar, Tehsil Kurwai, District Vidisha</u>

611 D. appeal